

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति हेतु ₹ 2000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2 से 3

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹ 2655.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 26,55,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4 से 5

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु ₹ 2000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आश्रमों/छात्रावासों में आवासरत् पात्र छात्रों को खाद्यान्न सुरक्षा हेतु ₹ 800.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 7 से 8

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 3000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 9

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा के लिए सीनियर रेसीडेण्ट के 02 नवीन शैक्षणिक पद वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे 5400 के सृजन हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 10 से 12

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) योजना अंतर्गत केन्द्रांश ₹ 804.00 लाख तथा राज्यांश ₹ 742.00 लाख कुल ₹ 1546.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1546.00 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 13

आदिवासी संस्कृति का संवर्धन अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास हेतु ₹ 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 14

बस्तर एवं दक्षिण आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु ₹ 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 15

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु ₹ 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 16

आदिवासी विशेष पिछड़े समूह हेतु ₹ 362.80 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 3,62,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 17

आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार के संचालन हेतु ₹ 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 18

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता हेतु ₹ 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 19

आई.टी.आई. कोण्डागांव के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए क्षतिपूर्ति हेतु ₹ 55.23 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 100 का प्रतीक के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 20

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना हेतु ₹ 100 का प्रतीक आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः ₹ 100 का अनुपूरक प्रावधान आवश्यक है ।

मद क्रमांक 21 से 22

एन.एम.ए.ई.टी.-सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल योजना अंतर्गत प्रशिक्षण एवं अनुदान पर ₹ 200 का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 23

एन.एम.ए.ई.टी.-सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्टेणशन योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 24

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत ₹ 100 का प्रतीक आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है । जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 का प्रावधान किया गया है ।

अतः ₹ 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 25 से 26

बिगड़े वनों के सुधार कार्य हेतु राशि ₹ 250.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 27 से 28

स्वच्छ भारत अभियान हेतु (केन्द्रांश राशि ₹ 1710.00 लाख तथा राज्यांश राशि ₹ 570.00 लाख) कुल राशि ₹ 2280.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 22,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 29

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु आर्थिक सहायता (सब्सिडी) पर राशि ₹ 8892.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 88,92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 30

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत नक्सल प्रभावित 14 जिलों के 111 छात्रावास/आश्रम शाला भवनों के निर्माण हेतु ₹ 3500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 31

नक्सल प्रभावित जिलों के 07 आई.टी.आई. के लिये मशीन एवं उपकरण क्रय हेतु राशि 350.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 32

1. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना निम्नलिखित 2 सड़कों के निर्माण कार्य को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है :-

क्र.	जिले का नाम	सड़क का नाम	अनुमानित लंबाई (कि.मी.में)	अनुमानित लागत (₹लाख में)
1	बस्तर	बेसोली से खेलपारा मार्ग होते हुए मुख्य मार्ग तक	3.00	210.00
2	कोण्डागांव	पटेलपारा बड़ेकुरुषनार से पंचायत भवन तक	6.00	420.00

इन कार्यों पर इस वर्ष राशि ₹ 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

2. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर इस वर्ष ₹ 3800.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 38,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।